

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

प्रतिष्ठान एण्ड (170)आकाशिका/निरा./2018/366

दिनांक-23/08/2018

आदेश

राजस्थान गैर सरकारी शिक्षा संस्था अधिनियम, 1989 तथा सहायधी नियम, 1993 एवं राज्य सरकार द्वारा जारी अधिनियम निजी महाविद्यालय नीति को अन्तर्गत निम्न महाविद्यालय को सत्र 2018-19 से स्नातक स्तर पर पूर्ण संचालित संकाय/विषय में स्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है-

संचालित संस्था	महाविद्यालय का नाम	सम्बद्ध विश्वविद्यालय	पूर्व संचालित संकाय व विषय
दस एज्युकेशन ट्रस्ट, हम्पीर नगर, खेस्ता, राजाईमहोपुर	ठाकुर मदन सिंह कॉलेज, हम्पीर नगर, खेस्ता, राजाईमहोपुर।	फोटा विश्वविद्यालय, फोटा।	अनिवार्य विषयों सहित स्नातक स्तर पर कला संकाय- हिन्दी साहित्य, संस्कृत सा०, अंग्रेजी सा०, चित्रकला, समाजशास्त्र, भूगोल, राजनीति विज्ञान, इतिहास। विज्ञान संकाय- भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, जीवशास्त्र, मनस्यविज्ञान, गणित।

1. संस्था प्रत्येक सत्र में निर्धारित अवधि में नियमानुसार गत वार्षिक शुल्क आयेदन करेगी।
2. आवेदनपत्रानुसार आयुक्तालय द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा महाविद्यालय का निरीक्षण किया जा सकेगा तथा संस्था अधिकृत अधिकारी द्वारा चाहा गया अतिरिक्त उपलब्ध करवायेगी।
3. संस्था को समय-समय पर यूजीसी/राज्य सरकार/आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा द्वारा जारी निर्देशों की पालना अनिवार्य रूप से करनी होगी।
4. संस्था संबंधित विश्वविद्यालय से संयुक्तता प्राप्त करेगी तथा विश्व विद्यालय के प्रकरण में बीएससीआरओ से मान्यता व विश्वविद्यालय से संयुक्तता पर अनुमोदन प्राप्त करेगी। सत्र 2018-19 में विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाये।
5. संस्था को दो वर्ष की अवधि में NAAAC से मूल्यांकन करवाना अनिवार्य होगा।
6. संस्था द्वारा सावधि जमा राशि (एफडीआर) का प्रत्येक 5 वर्ष में नवीनीकरण कराना अनिवार्य होगा।
7. संस्था महाविद्यालय में अध्यापन कार्य हेतु यूजीसी, अर्हताधारी प्राचार्य एवं व्याख्याताओं तथा निर्धारित मानदण्डानुसार अध्येक्षिक स्टाफ की नियुक्ति के साथ-साथ अन्य निर्धारित शर्तों की पालना करेगी।
8. राज्य सरकार संस्था को वर्तमान व भविष्य में इस हेतु कोई वित्तीय सहायता नहीं देगी।
9. संस्था संकाय व विषयवार सीटों का आवंटन विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त कर, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा विभाग को सूचित करेगी तथा महाविद्यालय तदनुसार तय संख्या सीमा में ही प्रवेश दिया जाना सुनिश्चित करेगा।
10. राज्य सरकार की महाविद्यालय संबंधी प्रवेश नीति 2018-19 तथा बाद में जारी होने वाली नीतियों का पालन करना होगा।
11. संस्था प्रति वर्ष विभाग की वेबसाइट www.dce.rajasthan.gov.in से वार्षिकी पुस्तिका एवं महाविद्यालय विवरणिका प्राप्त कर निर्धारित अवधि में पूर्ण सूचनाएं भरकर आयुक्तालय को भेजेगी।
12. मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के वेबपोर्ट www.aishenilc.in पर महाविद्यालय को रजिस्टर करवाकर DCE- II (Data Capture format) भरकर प्रतिवर्ष अपलोड करना अनिवार्य होगा। महाविद्यालय इसकी हार्ड कॉपी अगामी 15 दिवस में आयुक्तालय में प्रस्तुत करेगा। उपर्युक्त शर्तों की पालना नहीं करने पर स्थायी अनापत्ति प्रमाण-पत्र को रद्द कर लिया जायेगा।

आयुक्त

कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. शिक्षा सचिव, मा० उच्च शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी/राज्य/अतिरिक्त मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. जिला कलेक्टर, राजाईमहोपुर।
4. कलेक्टर, फोटा विश्वविद्यालय, फोटा।
5. संबंधित संस्था/महाविद्यालय।
6. राज्य की शाखा, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
7. रचित प्रतिलिपि।

संयुक्त-निदेशक, नि० रा०
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर